



SPREE 2025

**सुरक्षित कार्यबल.
मजबूत व्यापार.**

नियोक्ता की मानसिक शांति, कर्मचारियों की सुरक्षा

विशेष पंजीकरण अवधि

1 जुलाई, 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक



सत्यमेव जयते



अधिक जानकारी के लिए : <https://www/esic.gov.in> पर जायें या
अपने नजदीकी शाखा कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।

टोल फ्री नंबर : 1800-11-2526

SPREE 2025 क्या है?

SPREE 2025, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपंजीकृत नियोक्ताओं और उन नियोक्ताओं के स्व-पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पहल है, जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत नहीं कराया है।

अवधि : 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025

उद्देश्य : बिना किसी अंशदान, दंड और पिछली अवधि के लिए कानूनी कार्रवाई के, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति का विस्तार करना।

कौन लाभ उठा सकता है?

नियोक्ता :

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित क्षेत्रों के वे नियोक्ता जिनके कारखाने या प्रतिष्ठान (दुकान, होटल और रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, रोड मोटर परिवहन, निजी चिकित्सा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान और नगर निगम के अनुबंधित और आकस्मिक कर्मचारी) में 10 या अधिक कर्मचारी हैं।
- जिन्होंने सभी योग्य कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं किया हो।

पंजीकरण कैसे करें?

देखें : www.esic.gov.in

अधिक सहायता के लिए देखें : <https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employers Employee registration through portal.pdf>

श्रम सुविधा पोर्टल : <https://registration.shramsuvudha.gov.in/user/register>

एमसीए पोर्टल : www.mca.gov.in

नियोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभ

परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रक्रिया।

- क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा या एमसीए के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण।
- पूर्व अवधि के अंशदान की देनदारी के बिना और बिना किसी दंड के।
- पूर्व अवधि के किसी भी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- पिछली अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं।

कर्मचारी:

- पंजीकरण की तिथि से ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करें।
- चिकित्सा देखभाल स्वयं और परिवार के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा लाभ।
- रोजगार के दौरान बीमारी, प्रसूति और चोट या मृत्यु के लिए नकद लाभ।
- आईपी योजना के तहत क.रा.बी. निगम चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में सीटों का आरक्षण।

व्याप्ति (कवरेज) तिथि:

नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट तिथि से नियोक्ता की व्याप्ति (कवरेज) शुरू होगी।

अवसर न चूकें

अपनी मानसिक शांति और अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आज ही पंजीकरण करें।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

आंचलिक सह क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप
भवन, नामकुम, राँची, झारखण्ड-834010
Zonal cum Regional Office, Panchdeep Bhawan,
Namkum, Ranchi, Jharkhand-834010
E-mail: rd-jharkhand@esic.nic.in,
Phone : 0651-2710134

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)